5 रु. Rs.5 Rs.5 Rs.5 Rs.5
भारत INDIA INDIA INDIA INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES FIVE RUPEES FIVE RUPEES FIVE RUPEES

(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांकः /19/पुर्नवलोकन

पुनर्विलोकन–0507/2019/ग्वालियर/भू.रा.

चिरोंजीलाल शिवहरे पुत्र श्री चुन्नीलाल शिवहरे निवासी एम–40, गांधीनगर, ग्वालियर म0प्र0

——— आवेदक

बनाम

1– सुधाशु दत्त पुत्र श्री विमल किशोर निवासी लाइन नम्बर 13, बिरला नगर, ग्वालियर म0प्र0

2– निरंजन सिंह पुत्र जगन्नाथ प्रसाद निवासी लाइन नम्बर 13 बिरला नगर, ग्वालियर म0प्र0

3– औकार सिंह भदौरिया पुत्र जगदेव सिंह भदौरिया निवासी लाइन नम्बर 13 बिरला नगर, ग्वालियर म0प्र0

——— अनावेदकगण

श्री अजय शर्मा (Adv) द्वारा आज दि. 10/4/19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 30-4-19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-4-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

अभिभाषक
10/4/19

मानननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 6218/PBR/17/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06–03–2019 के विरूद्ध पुनर्वलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 51 भू–राजस्व संहिता 1959

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 0507/2019/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-5-2019	आवेदक की ओर से श्री अजय शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण के ग्राह्यता के संबंध में मूल निगरानी प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./17/6218 में पारित आदेश दिनांक 6-3-2019 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:- 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात या साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	